

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (II) य<sup>1</sup>- 24/ 2010-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय- विभागान्तर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया में इन्टरनेट टावर एवं अन्य सुसंगत उपकरण के अधिष्ठापन सहित 10 Mbps के दो लिंक का इन्टरनेट Railwire Broadband की सेवा उपलब्ध कराने हेतु रू. 8,85,000=00 (आठ लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

**आदेश- स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के पत्रांक-1475, दिनांक 16.12.2016 के द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में इन्टरनेट टावर एवं अन्य सुसंगत उपकरण के अधिष्ठापन सहित 10 Mbps के दो लिंक का इन्टरनेट Railwire Broadband की सेवा उपलब्ध कराने हेतु रू. 8,85,000=00 (आठ लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना बजट के "मुख्य शीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105 -इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106-अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड- पी 4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गया से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -  
(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) य<sup>1</sup>- 24/ 2010-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) य<sup>1</sup>- 24/ 2010-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) य<sup>1</sup>- 24/ 2010-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को उनके पत्रांक-1475, दिनांक 16.12.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) य<sup>1</sup>- 24/ 2010-

493

/पटना, दिनांक-

27-2-2017

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/17

सरकार के उप सचिव

27/2/17